न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	253/2012
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2012/01530
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	07.11.2012
निर्णय दिनांक	07.06.2022

उनवान

1	रामदेव पि.गोकल रेगर नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

बनाम

1	नारायण पि.मोहन रेगर नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	माधू पि.मोहन रेगर नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	रामदेव पि.मोहन रेगर नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	भूरालाल पि.मोहन रेगर नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	मोहन पि.नानजी रेगर नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (डिलिट)

– अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी	श्री हरिशंकर शर्मा
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री मुनीर गनी शेख

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त रेकार्डेड खातेदारी भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थी की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
आसीन्द	2068-71	966	4746	0.12	5330	0.13	5331	0.05
			5333	0.73	5334	0.71		
		969	5166	0.20	5167	0.21	5168	0.36
			5169	0.39	5170	0.37	5172	0.37

(2) प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.06.24 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
आसीन्द	5173	0.30	खातेदारी भूमि	प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में पहुंच के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता चाहा गया है।
	5335	0.42		
	5336	0.42		
	5337	0.22		
	5338	0.42		
	5339	0.02		

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

(3) प्रार्थी की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। भू.अ.निरीक्षक आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2020 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभय-पक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है जिसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

(6) भू.अ.निरीक्षक आसीन्द ने अपनी मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक की आ.नं.5330 से 5334 की दक्षिणी मेड़ मौके पर रास्ते से सटी हुई है तथा आ.नं.5165 ,5166 से 5170,5172 शामलाती खातेदारी भूमि में है जो आ.नं.5174 बिलानाम नहर व नहर के सहारे-सहारे रास्ते से सटी हुई है। आवेदक स्वंय की सुविधा के लिये रास्ता लेना चाहता है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भू.अ.निरीक्षक आसीन्द की मौका रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत नहीं होने चाहा गया रास्ता सुविधाजनक होने ,मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने व प्रार्थी की शामलाती कृषि भूमि रास्ते से सटी होने के कारण प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायासंगत प्रतीत नहीं होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होने ,प्रार्थी की शामलाती कृषि भूमि रास्ते से सटी होने ,प्रार्थी द्वारा सुविधा की दृष्टि से रास्ता चाहा जाने से अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 07.06.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022/ दिनांक

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.06.24 12:56:17 IST
Reason: SelfAttested